न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कुचामनसिटी जिला नागौर (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी :— श्री बाबुलाल जाट (**RAS**)

राजस्व वाद संख्या :— 46/2019 **GCMS 2019/00088**

वादी

1. गुमानाराम पुत्र हरलाराम जाट नि. राणासर तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर

बनाम

प्रतिवादीगणः—

1. उर्मिला पत्नी नीरज कुमार खत्री जाति जीनगर निवासी कुचामनसिटी तहसील कुचामन सिटी जिला नागौर राज्य राजस्थान
2. गुजी देवी पत्नी बालाराम जाति भाट निवासी भवाद तहसील ओसिया जिला जोधपुर हाल निवासी पनवाड़ी तहसील कुचामनसिटी
3. दीनाराम पुत्र तेजराम जाति प्रजापत निवासी सुरेन्द्र नगर कुचामनसिटी
4. रतन कंवर पत्नी निर्मल सिंह पंवार जाति राजपूत निवासी जोधपुर
5. राजू देवी पत्नी रिछपालसिंह जाति जाट निवासी पनवाड़ी
6. संतोष कंवर पत्नी राजेन्द्रसिंह राजपूत निवासी सुरतपुरा
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार कुचामनसिटी (लैण्ड होल्डर)

दावा बाबत बंटवारा व होल्डिंग व स्थाई निषेधाज्ञा बाबत अन्तर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :— श्री अशोकपुरी अधिवक्ता वादी की ओर से।

श्री ऋषभ शर्मा अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 01 की ओर से।

श्री राजेश गुर्जर अधिवक्ता प्रतिवादी सं. 2 की ओर से।

श्री प्रभूराम गुर्जर अधिवक्ता प्रतिवादी 4 की ओर से।

श्री श्याम सुन्दर चौधरी अधिवक्ता 5 की ओर से।

निर्णय

दिनॉक :— 11-4-2022

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद का सार संक्षेप में इस प्रकार से है कि ग्राम पनवाड़ी पटवार मण्डल रूपपुरा टोरड़ा तहसील कुचामनसिटी के खसरा नम्बर 398/46 रकबा 1.4532 हैक्टर किस्म बारानी प्रथम वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 6 की सह खातेदारी की स्थित है, उक्त वादग्रस्त खसरे में वादी का 809/3633 हिस्सा अर्थात 0.3235 हैक्टर है, वादग्रस्त खसरे का वादी 809/3633 हिस्सा अर्थात 0.3235 हैक्टर पर काबिज खातेदार काश्तकार है। मौके पर वादी का कब्जे काश्त अनुसार नजरी नक्शा संलग्न है जो परिशिष्ट " क " है, जिसको वाद पत्र का एक भाग बताया गया है, वादी उपरोक्त वादग्रस्त खसरे का खातेदार काश्तकार है एवं बंटवारा करवाकर अलग होल्डिंग कायम करवाने का अधिकारी है, वादी ने प्रतिवादी सं. 1 ता 6 सहखातेदारान को अपनी खातेदारी सुदा भूमि का भू—विभाजन विधिवत रूप से करने हेतु कई मर्तबा कहा लेकिन प्रतिवादीगण द्वारा इन्कार करने पर वादी को यह वाद लाना आवश्यक हुआ। प्रवितादी संख्या 1 ता 6 ने धमकी दी कि वे न तो भू विभाजन करेंगें तथा न ही सही नाप चौक वादी को करने देंगें तथा वादी को ताकत के बल

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

पर बेदखल करेगें, ऐसा करने में प्रतिवादी सफल हो गये तो वादी का अपार क्षति होगी एवं मुकदमेंबाजी बढ़ेगी जिसकी पूर्ति होना असंभव होगा। वादी की इस्तदुआ है कि ग्राम पनवाड़ी पटवार मण्डल रूपपुरा टोरड़ा तहसील कुचामनसिटी के खसरा नम्बर 398/46 रकबा 1.4532 हैक्टर किस्म बारानी प्रथम में 809/3633 हिस्सा अर्थात 0.3235 हैक्टर का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे एवं इसी माफिक बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स बंटवारा करवाया जाकर जहॉ तक सम्भव हो परिशिष्ट " क " के अनुसार वादी की अलग होल्डिंग कायम की जावे।

वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 1 ने जवाब दावा मय काउन्टर क्लेम प्रस्तुत किया, प्रतिवादी सं. 2 ने जवाब दावा मय काउन्टर क्लेम इकबालिया जवाब प्रस्तुत किया, प्रतिवादी सं. 3 बावजूद इतला अनुपस्थित रहे जिससे उनके विरूद्व एक–पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई, प्रतिवादी सं. 4 रतन कंवर के आम मुख्तयार श्रीरामसिंह ने जवाब दावा प्रस्तुत किया, प्रतिवादी सं. 5 की ओर से जवाब दावा मय काउन्टर क्लेम प्रस्तुत हुआ, प्रतिवादी सं. 6 एवं 7 बावजूद इतला अनुपस्थित रहे, जिससे उनके विरूद्व एक–पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

दस्तावेजी साक्ष्य में वादी की ओर से चालू जमाबंदी की नकल, नक्शा ट्रेस की नकल प्रस्तुत की, प्रतिवादी द्वारा चालू जमाबंदी नकल ग्राम पनवाड़ी के खसरा नम्बर 398/46 सम्वत 2064–2067, 2076–2079, बेचान रिछपाल द्वारा गुमानाराम के पक्ष में पंजियन की छाया प्रति, मोहनराम पुत्र मगनाराम जाट द्वारा बेचान रिछपाल के पक्ष में पंजियन की छाया प्रति, श्रीमति रतन कंवर के पक्ष में बेचान की छाया प्रति, इकरारनामा 21.01.2009 की छाया प्रति, श्रीमति सन्तोष कंवर धर्म पत्नि राजेन्द्रसिंह राजपूत सुरतपुरा द्वारा बेचान श्रीमति गुजी देवी धर्म पत्नी बलाराम भाट के पक्ष में बेचान दस्तावेज 20.04.2009 की छाया प्रति, आम मुख्त्यार नामा श्रीमति रतन कंवर द्वारा श्रीराम सिंह के पक्ष में नोटेरी से तस्दीक सुदा 24.12.2011 की छाया प्रति प्रस्तुत हुई।

प्रतिवादी सं. 1 ने जवाब दावा मय काउन्टर क्लेम प्रस्तुत कर कथन किया है कि सभी खातेदारान अपने अपने भूखण्ड/भूमि पर मौके पर काबिज है तथा प्रतिवादी सं. 1 की 0.1618 हैक्टर भूमि उक्त वादग्रस्त खसरा नम्बर 398/46 में अन्य खातेदारान के साथ संयुक्त रूप से दर्ज चली आ रही है जिसका बाई मीट्स एण्ड बाउण्डस बंटवारा करवाकर सेपरेट होल्डिंग कायम करवाना चाहती है। प्रतिवादी सं. 2 ने जवाब दावा मय काउन्टर क्लेम एवं इकबालिया जवाब प्रस्तुत कर वादी के वाद को स्वीकार किया गया है तथा उक्त खसरा नम्बर 398/46 में स्थित हिस्सा 7663/726600 अर्थात 0.0152922 हैक्टर (1650 वर्ग फुट) की काबिज खातेदार है जिसका भू–विभाजन कर सेपरेट होल्डिंग कायम की जावें। प्रतिवादी सं. 3 रतनकंवर की ओर से आम मुख्त्यार रामसिंह ने जवाब प्रस्तुत कर कथन किया है कि मौके पर सभी की भूमि अलग अलग बंटी हुई है तथा अलग अलग दीवारे खींची हुई है, नजरी नक्शा परिशिष्टि (क) वादी ने अधूरा पेश किया है वादी के एवं प्रतिवादी सं. 4 रतन कंवर के हिस्से के उत्तर दिशा में 20 फीट चौड़ा रास्ता कायम है जो पूर्व में मेगा हाईवे से चलकर पश्चिमी दिशा में वादी की भूमि के लगता हुये आगे की ओर जा रहा है, खातेदार पक्षकारान का हक हिस्सा प्रस्तुत नजरी नक्शा परिशिष्ट (अ) में दर्शाया गया है इसी अनुसार बंटवारा स्वीकृत किया जावें, प्रतिवादी सं. 4 का हक हिस्सा K ख E F J I के मध्य दर्शाया गया है जिसके पाड़ौस पूर्व में– वादी एवं राजूदेवी की भूमि, पश्चिम में संतोष कंवर एवं दीनाराम की भूमि, उत्तर में रास्ता 20 फीट चौड़ा, दक्षिण में शिव नगर आवासीय

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

कॉलोनी है एवं रतन कंवर की भूमि के चारो ओर चार दिवारी है तथा प्रतिवादी सं. 4 के नाम दर्ज भूमि रकबा 0.4854 हैक्टर में सेपरेट होल्डिंग कायम की जावें तथा मार्क R से दर्शित मार्क R से H से लम्बा एवं 20 फीट चौड़ा रास्ता घोषित कर उसे अलग कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किये जाने की घोषणा व बंटवारे की डिक्री प्रतिवादी सं. 4 के पक्ष में एवं वादी के विरूद्व सादिर फरमाई जावें। प्रतिवादी संख्या 5 द्वारा जवाब दावा मय काउन्टर क्लेम प्रस्तुत कर कथन किया है कि उसका वादग्रस्त भूमि में हक हिस्सा 397/3633 हिस्से की कब्जा सुदा खातेदारी की आई हुई है, तथा जवाब दावा के संलग्न नजरी नक्शा में अंकित लाल स्याही से मार्क A B C D पर काबिज है इसी अनुसार बंटवारा कराकर सेपरेट होल्डिंग कायम की जाने के आदेश प्रदान करावें। जमाबंदी में निम्नवत प्रविष्टि अंकित है :–

ग्राम का नाम :- पनवाड़ी	अंतिम चौसाला आधार सम्वत :- 2076 - 2079 जमाबंदी 2075 (वर्ष 2018) से स्थायी
पटवार हल्का :- रूपपुराटोरड़ा	भूमि धारक का नाम :- राज.सरकार
भू.अभि.नि. :- कुचामनसिटी	क्षेत्रफल की ईकाई :- हैक्टेयर
तहसील :- कुचामन	खाता संख्या नया :- 107
जिला :- नागौर	खाता संख्या पुराना :- 106

काश्तकार का नामः-

1. उर्मिला पत्नि नीरजकुमार खत्री हिस्सा- 809/7266 जाति- जीनगर सा. कुचामनसिटी खातेदार
2. गुजीदेवी पत्नि बलाराम हिस्सा- 7663/726600 जाति- भाट सा. भवाद तह. औसीया खातेदार
3. गुमानाराम पुत्र हरलाराम हिस्सा- 809/3633 जाति- जाट सा.राणासर खातेदार
4. दीनाराम पुत्र तेजराम हिस्सा- 72/6055 जाति- प्रजापत नि. सुरेन्द्रनगर कुचामनसिटी खातेदार
5. रतनकंवर पत्नि निर्मलसिंह पंवार हिस्सा- 809/2422 जाति- राजपुत सा. जोधपुर खातेदार
6. राजूदेवी पत्नि रिछपालसिंह हिस्सा- 397/3633 जाति- जाट सा.देह खातेदार
7. सन्तोषकंवर पत्नि राजेन्द्रसिंह हिस्सा- 48499/242200 जाति- राजपुत नि. सुरतपुरा खातेदार,

खसरा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि वर्गीकरण		कृपक द्वारा संदत्त लगान	सिंचाई के साधन	अन्तरण के क्रम में प्रमाणित नामान्तरकरण संख्या व दिनांक	टिप्पणी
398/46	1.4532	बारानी 1	1.4532	8.72			
						स्वीक्रत नामांतरकरण : 638 05/04/2019 बेचान	
						स्वीक्रत नामांतरकरण : 644 14/06/2019 बेचान	
कुल खसरे - 1	1.4532		1.4532	8.7200			

उभय पक्षकारान के निवेदन पर प्रकरण में तनकियात एवं साक्ष्य के बिन्दू पर सुना गया, जिन्होने स्वीकार किया है कि प्रकरण में सभी पक्षकारान अपने अपने हक हिस्से की भूमि पर मौके पर काबिज है एवं बंटवारा स्कीम/मौका रिपोर्ट तहसीलदार कुचामनसिटी से मंगवाई जावे तथा नजरी नक्शा एवं प्रस्तुत जवाब एवं काउन्टर क्लेम एवं इकबालिया जवाब इत्यादि पर गौर फरमाकर प्रकरण को प्राथमिक डिक्री किया जाना पक्षकारान/खातेदार के पक्ष में न्यायोचित रहेगा।

प्रकरण में उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात इत्यादि का अवलोकन किया गया। बहस दौरान प्रस्तुत वाद में अंकित तथा जवाब दावा एवं काउन्टर क्लेम में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए वादग्रस्त भूमि में पक्षकारान को खातेदार

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

काश्तकार घोषित किया जावे तथा इसी माफिक बाई मीट्स एण्ड बाउण्डस बंटवारा घोषित करवाया जाकर डिक्री सादिर फरमाई जावे। प्रकरण का अवलोकन किया गया पक्षकारान खातेदारान द्वारा अपने अपने हक हिस्से की भूमि का पृथक–पृथक बंटवारा चाहा गया है तथा मौके पर काबिज अनुसार बंटवारा कर सेपरेट होल्डिंग कायम किये जाने के कथन किये गये है जिसके लिये परिशिष्ट "क", परिशिष्ट "अ" , नजरी नक्शा प्रस्तुत किये है तथा इसी अनुसार बंटवारा किये जाने के कथन किये है। वादी एवं प्रतिवादीगण 1 से 6 संयुक्त रूप से खातेदार दर्ज चले आ रहे है, जो मौके पर अपने अपने हक हिस्से पर काबिज होकर काश्त करते आ रहे है तथा नजरी नक्शा अनुसार भूमि का बंटवारा चाहा गया है। जिसकी पुष्टि उपलब्ध रेकार्ड एवं जमाबंदी एवं दस्तावेजो से होती है। इस प्रकार वाद वादी एवं प्रतिवादीगण का काउन्टर क्लेम स्वीकार किये जाने योग्य होने से प्राथमिक डिक्री काबिल पाया गया। अतः वाद प्राथमिक डिक्री किया जाता है।

आदेश

वाद वादी एवं प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत जवाब काउन्टर क्लेम इकबाली जवाब स्वीकार किया जाकर प्राथमिक डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि ग्राम पनवाड़ी पटवार मण्डल रूपपुरा टोरड़ा तहसील कुचामनसिटी के खसरा नम्बर 398/46 रकबा 1.4532 हैक्टर किस्म बारानी प्रथम में वादी गुमानाराम पुत्र हरलाराम हिस्सा- 809/3633 जाति- जाट सा.राणासर को मौके पर काबिज अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा प्रतिवादीगण उर्मिला पत्नि नीरजकुमार खत्री हिस्सा- 809/7266 जाति- जीनगर सा. कुचामनसिटी , गुजीदेवी पत्नि बलाराम हिस्सा- 7663/726600 जाति- भाट , दीनाराम पुत्र तेजराम हिस्सा- 72/6055 जाति- प्रजापत नि. सुरेन्द्रनगर कुचामनसिटी , रतनकंवर पत्नि निर्मलसिंह पंवार हिस्सा- 809/2422 जाति- राजपुत सा. जोधपुर , राजूदेवी पत्नि रिछपालसिंह हिस्सा- 397/3633 जाति- जाट, सन्तोषकंवर पत्नि राजेन्द्रसिंह हिस्सा- 48499/242200 जाति- राजपुत नि. सुरतपुरा को मौके पर काबिज अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। तहसीलदार कुचामनसिटी को आदेश दिये जाते है कि संबंधित खातेदारान के आवागमन हेतु रास्ते को दर्शाते हुए रूबरू पक्षकारान (खातेदार) मौके पर जाकर बंटवारा स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करें। प्राथमिक डिक्री पर्चा भरा जाकर शामिल मिसल किया जावे। वादी एवं प्रतिवादी द्वारा अंकित नजरी नक्शा, परिशिष्ट "क", परिशिष्ट "अ", प्राथमिक डिक्री का भाग रहेगा। तहसीलदार कुचामनसिटी को तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनॉक 11-4-2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बाबूलाल जाट R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
कुचामनसिटी (नागौर)

डिक्री मुकदमा इब्तेदाई

(ओ.20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत : उपखण्ड अधिकारी   मुकाम : कुचामन सिटी

बइजलास : बाबुलाल जाट (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या :– 46/2019 **GCMS 2019/00088**

वादी

1. गुमानाराम पुत्र हरलाराम जाट नि. राणासर तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर

बनाम

प्रतिवादीगणः–

1. उर्मिला पत्नी नीरज कुमार खत्री जाति जीनगर निवासी कुचामनसिटी तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर राज्य राजस्थान
2. गुजी देवी पत्नी बालाराम जाति भाट निवासी भवाद तहसील ओसिया जिला जोधपुर हाल निवासी पनवाड़ी तहसील कुचामनसिटी
3. दीनाराम पुत्र तेजराम जाति प्रजापत निवासी सुरेन्द्र नगर कुचामनसिटी
4. रतन कंवर पत्नी निर्मल सिंह पंवार जाति राजपूत निवासी जोधपुर
5. राजू देवी पत्नी रिछपालसिंह जाति जाट निवासी पनवाड़ी
6. संतोष कंवर पत्नी राजेन्द्रसिंह राजपूत निवासी सुरतपुरा
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार कुचामनसिटी (लैण्ड होल्डर)

दावा बाबत बंटवारा व होल्डिंग व स्थाई निषेधाज्ञा बाबत अन्तर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम 1955

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू–बरू वकील श्री अशोकपुरी अधिवक्ता हाजिरी .... मिनजानिब मुदई रू–बरू श्री ऋषभ शर्मा, राजेश गुर्जर, प्रभूराम गुर्जर, श्याम सुन्दर चौधरी अधिवक्ता मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है वाद वादी एवं प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत जवाब काउन्टर क्लेम इकबाली जवाब स्वीकार किया जाकर प्राथमिक डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि ग्राम पनवाड़ी पटवार मण्डल रूपपुरा टोरड़ा तहसील कुचामनसिटी के खसरा नम्बर 398/46 रकबा 1.4532 हैक्टर किस्म बारानी प्रथम में वादी गुमानाराम पुत्र हरलाराम हिस्सा- 809/3633 जाति- जाट सा.राणासर को मौके पर काबिज अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा प्रतिवादीगण उर्मिला पत्नि नीरजकुमार खत्री हिस्सा- 809/7266 जाति- जीनगर सा. कुचामनसिटी , गुजीदेवी पत्नि बलाराम हिस्सा- 7663/726600 जाति- भाट , दीनाराम पुत्र तेजराम हिस्सा- 72/6055 जाति- प्रजापत नि. सुरेन्द्रनगर कुचामनसिटी , रतनकंवर पत्नि निर्मलसिंह पंवार हिस्सा- 809/2422 जाति- राजपुत सा. जोधपुर , राजूदेवी पत्नि रिछपालसिंह हिस्सा- 397/3633 जाति- जाट, सन्तोषकंवर पत्नि राजेन्द्रसिंह हिस्सा- 48499/242200 जाति- राजपुत नि. सुरतपुरा को मौके पर काबिज अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। तहसीलदार कुचामनसिटी को आदेश दिये जाते है कि संबंधित खातेदारान के आवागमन हेतु रास्ते को दर्शाते हुए रूबरू पक्षकारान (खातेदार) मौके पर जाकर बंटवारा स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करें। प्राथमिक डिक्री पर्चा भरा जाकर शामिल मिसल किया जावे। वादी एवं प्रतिवादी द्वारा अंकित नजरी नक्शा, परिशिष्ट "क", परिशिष्ट "अ", प्राथमिक डिक्री का भाग रहेगा। तहसीलदार कुचामनसिटी को तहरीर जारी हो।

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

निज .... मुबलिग .... बाबत....................खर्चा इस मुकदमे के मय सूद शरह.... फीसदी सालाना आज की तारिख से तारीख अदायगी तक .... का अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 11 माह 04 सन् 2021 को जारी की गई।

(मुहर)

दस्तखत उपखण्ड अधिकारी
ओहदा कुचामन सिटी (नागौर)

मुदई	रूपयें	पैसे	मुदायलय	रूपयें	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालात नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकिल		
महन्ताना वकिल			खर्चा गवाहन		
खर्चा गवाहन			फिस कमिश्नर		
फिस कमिश्नर			बबत इजराय हुक्मनामा		
बबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मीजान			मीजान		

नोटः इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेत का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नहीं, दर्ज करना चाहिए।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कुचामनसिटी जिला नागौर (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी :— श्री बाबुलाल जाट (**RAS**)

राजस्व वाद संख्या :— 46 / 2019 **GCMS 2019/00088**

वादी

1. गुमानाराम पुत्र हरलाराम जाट नि. राणासर तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर

बनाम

प्रतिवादीगणः—

1. उर्मिला पत्नी नीरज कुमार खत्री जाति जीनगर निवासी कुचामनसिटी तहसील कुचामन सिटी जिला नागौर राज्य राजस्थान
2. गुजी देवी पत्नी बालाराम जाति भाट निवासी भवाद तहसील ओसिया जिला जोधपुर हाल निवासी पनवाड़ी तहसील कुचामनसिटी
3. दीनाराम पुत्र तेजराम जाति प्रजापत निवासी सुरेन्द्र नगर कुचामनसिटी
4. रतन कंवर पत्नी निर्मल सिंह पंवार जाति राजपूत निवासी जोधपुर
5. राजू देवी पत्नी रिछपालसिंह जाति जाट निवासी पनवाड़ी
6. संतोष कंवर पत्नी राजेन्द्रसिंह राजपूत निवासी सुरतपुरा
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार कुचामनसिटी (लैण्ड होल्डर)

दावा बाबत बंटवारा व होल्डिंग व स्थाई निषेधाज्ञा बाबत अन्तर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :— श्री अशोकपुरी अधिवक्ता वादी की ओर से।

श्री ऋषभ शर्मा अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 01 **की ओर से।**

श्री राजेश गुर्जर अधिवक्ता प्रतिवादी सं. 2 **की ओर से।**

श्री प्रभूराम गुर्जर अधिवक्ता प्रतिवादी 4 की ओर से।

श्री श्याम सुन्दर चौधरी अधिवक्ता 5 की ओर से।

निर्णय

दिनॉक :— 8/11/2022

वकुलाय उपस्थित। उभय पक्षकारान ने बहस कर कथन किया कि वाद पत्र में प्राथमिक डिक्री तहसीलदार कुचामन सिटी से प्राप्त हो चुकी है माफिक बंटवारा स्कीम के अन्तिम डिक्री फरमावें। उभय पक्षकारान अधिवक्ताओ की बहस पर वाद पत्र एवं वाद पत्र के संलग्न दिनांक 11.04.2022 को प्राथमिक डिक्री जारी कर तहसीलदार कुचामनसिटी से बंटवारा स्कीम मंगवाई गई। तहसीलदार कुचामनसिटी ने बंटवारा स्कीम पत्रांक भू0अ0 / 2022 / 957 दिंनाक 24.05.2022 के द्वारा भिजवाई गई, दिनॉक 19.05.2022 को तैयार मौका फर्द बंटवारा स्कीम शामिल मिसल उपलब्ध है। तहसीलदार कुचामनसिटी द्वारा प्रस्तुत बंटवारा स्कीम में ग्राम पनवाड़ी पटवार मण्डल रूपपुरा टोरड़ा तहसील कुचामनसिटी की सरहद में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 398 / 46 रकबा 1.4532 हैक्टर में वादी एवं प्रतिवादीगण 1 से 6 का नजरी नक्शा दर्शाते हुए पृथक–पृथक हिस्सा दर्शाया गया है, जिसमें कथन किया है कि मौका रिपोर्ट (मौका फर्द बंटवारा स्कीम दिनॉक 19.05.2022)

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

अनुसार पक्षकारान के खातेदारी दर्ज किया जाना उचित है। उभय पक्षकारान अधिवक्ताओ की अन्तिम डिक्री हेतु बहस का मनन एवं संलग्न प्राथमिक डिक्री व तहसीलदार से प्राप्त बंटवारा स्कीम का अवलोकन करने से न्यायालय का मत है कि खातेदारान/पक्षकारान का वाद काबिल अन्तिम डिक्री पाया जाने से निम्न प्रकार अन्तिम डिक्री जारी की जाती है।

आदेश

वाद अन्तिम रूप से डिक्री किया जाकर ग्राम पनवाड़ी पटवार मण्डल रूपपुरा टोरड़ा तहसील कुचामनसिटी की सरहद में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 398/46 रकबा 1.4532 हैक्टर में वादी एवं प्रतिवादीगण 1 से 6 को तहसीदार कुचामनसिटी से प्राप्त मौका रिपोर्ट (मौका फर्द बंटवारा स्कीम दिनॉक 19.05.2022) अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार कुचामनसिटी द्वारा प्रस्तुत बंटवारा स्कीम निर्णय का भाग रहेगी। अन्तिम डिक्री पर्चा भरा जाकर शामिल मिसल हो। बंटवारा स्टाम्प ड्यूटी पेश होने पर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद एवं नक्शे में तरमीम किये जाने हेतु तहसीलदार कुचामनसिटी को तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनॉक 8/6/2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बाबूलाल जाट R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
कुचामनसिटी (नागौर)

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

डिक्री मुकदमा इन्तेहाई

(ओ.20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत : उपखण्ड अधिकारी मुकाम : कुचामन सिटी

बइजलास : बाबुलाल जाट (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या :– 46/2019 **GCMS 2019/00088**

वादी

1. गुमानाराम पुत्र हरलाराम जाट नि. राणासर तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर

बनाम

प्रतिवादीगण :–

1. उर्मिला पत्नी नीरज कुमार खत्री जाति जीनगर निवासी कुचामनसिटी तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर राज्य राजस्थान
2. गुजी देवी पत्नी बालाराम जाति भाट निवासी भवाद तहसील ओसिया जिला जोधपुर हाल निवासी पनवाड़ी तहसील कुचामनसिटी
3. दीनाराम पुत्र तेजराम जाति प्रजापत निवासी सुरेन्द्र नगर कुचामनसिटी
4. रतन कंवर पत्नी निर्मल सिंह पंवार जाति राजपूत निवासी जोधपुर
5. राजू देवी पत्नी रिछपालसिंह जाति जाट निवासी पनवाड़ी
6. संतोष कंवर पत्नी राजेन्द्रसिंह राजपूत निवासी सुरतपुरा
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार कुचामनसिटी (लैण्ड होल्डर)

दावा बाबत बंटवारा व होल्डिंग व स्थाई निषेधाज्ञा बाबत अन्तर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू–बरू वकील श्री अशोकपुरी अधिवक्ता हाजिरी .... मिनजानिब मुदई रू–बरू श्री ऋषभ शर्मा, राजेश गुर्जर, प्रभूराम गुर्जर, श्याम सुन्दर चौधरी अधिवक्ता मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है **वाद अन्तिम रूप से डिक्री किया जाकर ग्राम पनवाड़ी पटवार मण्डल रूपपुरा टोरड़ा तहसील कुचामनसिटी की सरहद में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 398/46 रकबा 1.4532 हैक्टर में वादी एवं प्रतिवादीगण 1 से 6 को तहसीदार कुचामनसिटी से प्राप्त मौका रिपोर्ट (मौका फर्द बंटवारा स्कीम दिनॉक 19.05.2022) अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार कुचामनसिटी द्वारा प्रस्तुत बंटवारा स्कीम निर्णय का भाग रहेगी। अन्तिम डिक्री पर्चा भरा जाकर शामिल मिसल हो। बंटवारा स्टाम्प ड्यूटी पेश होने पर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद एवं नक्शे में तरमीम किये जाने हेतु तहसीलदार कुचामनसिटी को तहरीर जारी हो।**

निज .... मुबलिग .... बाबत....................खर्चा इस मुकदमे के मय सूद शरह.... फीसदी सालाना आज की तारिख से तारीख अदायगी तक .... का अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 8 माह 6 सन् 2022 को जारी की गई।

(मुहर) उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)

उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)

मुदई	रूपयें	पैसे	मुदायलय	रूपयें	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालात नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकिल		
महन्ताना वकिल			खर्चा गवाहन		
खर्चा गवाहन			फिस कमिश्नर		
फिस कमिश्नर			बबत इजराय हुक्मनामा		
बबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मीजान			मीजान		

नोटः इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेत का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नहीं, दर्ज करना चाहिए।

आज़ादी का अमृत महोत्सव

राजस्थान सत्यमेव जयते सरकार

भीम BHIM भारत इंटरफ़ेस फ़ॉर मनी

कार्यालय तहसीलदार (भू–अ.) कुचामन सिटी जिला नागौर (राज0)

क्रमांक / भू–अ. / 2022 / 957 दिनांक – 24.05.2022

प्रेषित –

श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय
कुचामनसिटी

विशय – राजस्व वाद सं. 46 / 2021 गुमानाराम बनाम उर्मिला वगैरह में पारित प्राथमिक डिक्री की पालना बाबत्।

प्रसंग – श्रीमान के पत्रांक राजस्व / 2022 / 87 दिनांक 22.04.2022

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में निवेदन है कि राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 46 / 2021 गुमानाराम बनाम उर्मिला वगैरह में पारित प्राथमिक डिक्री अनुसार बंटवारा स्कीम भू.अ.नि. कुचामनसिटी के द्वारा तैयार करवाई गई है ।

अतः मूल ही बंटवारा स्कीम श्रीमान की सेवा में सादर प्रेशित है।

संलग्न – उपरोक्तानुसार

26
24/05/2022

राजस्व
24/5/22

तहसीलदार (भू.अ.) कुचामन सिटी
तहसीलदार(भू.अ.)कुचामनसिटी

मौका फर्द बंटवारा स्कीम

आज दिनांक 19/5/2022 को श्रीमान तहसीलदार साहब कुचामनसिटी के आदेश क्रमांक/ग्रु.अ./PD 45 दि. 26.04.2022 की पालना में माननीय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी महोदय कुचामनसिटी के राजस्व वाद सं. 46/2021 GCMS 2019/00088 निर्णय दिनांक 11/04/2022 अनुवान गुमानाराम बनाम उर्मिला वगैरह में पारित प्राथमिक डिक्री आदेश की पालना बाबत बंटवारा स्कीम तैयार करने हेतु ग्राम पनबाड़ी के ख. नं. 398/46 रकबा 1.4532 हेक्टर के मौके पर पटवारी हल्का रूपपुरा. रोड़ा के साथ पहुंचा। राजस्व रिकॉर्ड व मौका स्थिति का अवलोकन कर पक्षकारान किया गया। राजस्व रिकॉर्ड अनुसार उक्त ख. नं. की खातेदारी वादी गुमानाराम पुत्र हरलाराम व प्रतिवादीगण उर्मिला वगैरह के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। राजस्व रिकॉर्ड अनुसार उक्त ख. नं. पर माननीय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामनसिटी का स्थगन आदेश प्रभावी है। उपस्थित पक्षकारान ने ग्राम पनबाड़ी के ख. नं. 398/46 रकबा 1.4532 है में काबिज खातेदारों की स्थिति निम्न नजरी नक्शानुसार होना बताया :-

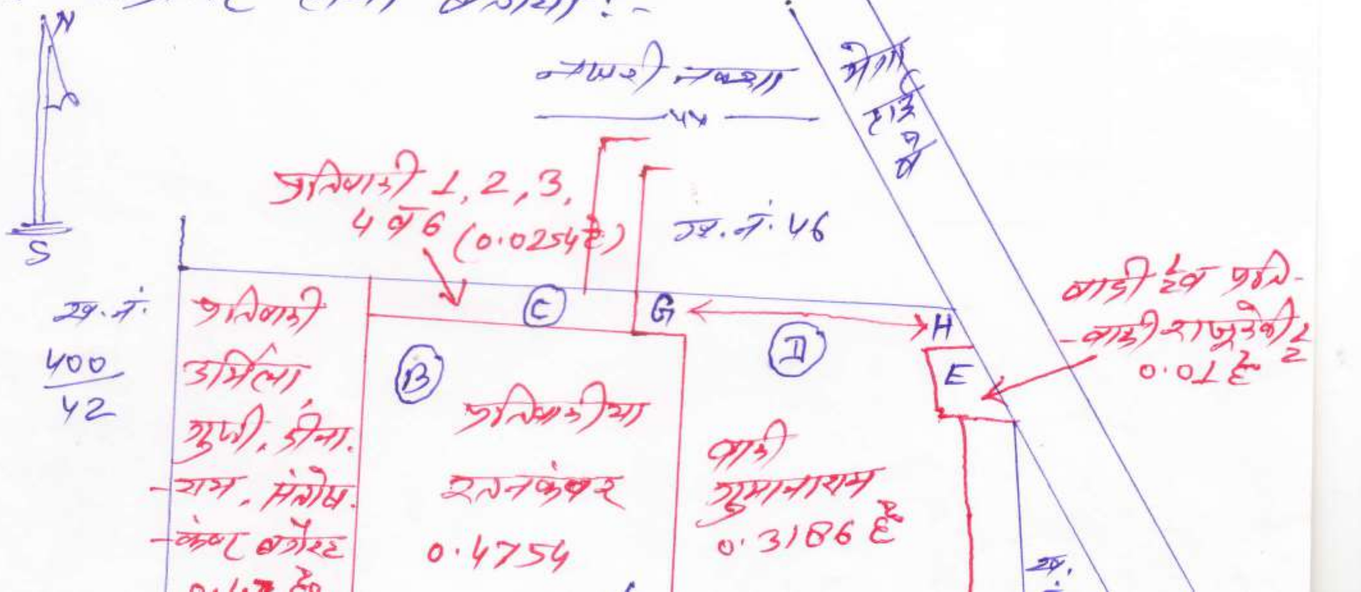

— जमाराम —

मौके पर उपस्थित पक्षकारान ने बताया कि नजरीनक्शा अनुसार बिन्दु संख्या A रकबा 0.47 है पर प्रतिवादी संख्या 01, 02, 03, 06 काबिज है, बिन्दु संख्या B रकबा 0.4754 है पर प्रतिवादीया रतनकंवर काबिज है, बिन्दु सं. C रकबा - 0.0254 है प्रतिवादी संख्या 01 से 04 व 06 व.हि.द्वारा के रास्ते के उपयोग हेतु रहेगी, बिन्दु संख्या D रकबा 0.3186 है पर वादी गुमानाराम काबिज है, बिन्दु सं. E रकबा 0.01 है वादी व प्रतिवादी सं. 05 के बराबर हिस्से में कायमलात रहेगी. बिन्दु सं. F रकबा 0.1538 है पर प्रतिवादी राजूदेवी काबिज है। सहखातेदार रतन-कंवर पत्नि निर्मलसिंह के द्वारा किये गये मुख्त्यारनामा अनुसार मुख्त्यारशुदा श्यामसिंह ने बताया कि बिन्दु सं. G से H तक पहले रास्ता (20 फीट चौड़ाई का) था. जिसको प्रतिवादी राजूदेवी ओरट ने बिन्दु सं. H पर दुकाने बनाकर बंद कर दिया। वर्तमान में हम पड़ौसी ख.नं. 46 में से मौजूद रास्ते से आवागमन करते है। मौके पर उपस्थित पक्षकारान के कथन बरबारा स्कीम तैयार की गई. उपस्थित ने पढ़कर, सुनकर व समझकर हस्ताक्षर किये। प्रतिवादी राजूदेवी ने हस्ताक्षर करने से इन्कार किया।

" गुमानाराम/श्री हरलाराम जाट 9983318234 — गुमानाराम

" शिशपाल पुत्र श्री मोहनराम जाट
मो.नं. 9269542284 — शिशपाल

" मोतीराम पुत्र श्री प्रभुराम जाट
मो.नं. 8058503670 — मोतीराम

" छोटूराम / श्री प्रेमाराम जाट
मो.नं. 9783201869 — छोटूराम

" सन्तोष कंवर पत्नि राजेन्द्र सिंह — संतोष कंवर

" राजेन्द्रसिंह पुत्र बहादुरसिंह मो.नं. 9166006000 — राजेन्द्र